कार्यालयः वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी

पत्रांक– 1742 / 33–1 / दिनांक, दिसम्बर, 26 ,2022।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– जनपद झांसी में अदानी टोटल गैस लिमिटेड, झांसी द्वारा 200mm Dia कार्बन स्टील पाईप लाईन बिछाने हेतु झांसी–शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग सं0– 27 के कि0मी0 सं0– 86 से 93.500 (कुल 7.500 कि0मी0) तक बांयी पटरी पर प्रभावित 0.225 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं झांसी– ग्वालियर राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या–44 के कि0मी0 संख्या– 6.500 से 18.200 (कुल 11.700 कि0मी0) तक प्रभावित 0.351 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 0.576 हे0 संरक्षित वन भूमि तथा सिजवाहा वन ब्लाक में प्रभावित 0.06 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल प्रभावित 0.636 हे0 वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु। प्रस्ताव संख्या– प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Pipeline/143751/2021।

संदर्भ – 1. आपका पत्रांक–1508/11–सी FP/UP/Pipeline/143750/2021, दिनांक –28.10.2022
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक–2368/15–1, दिनांक 26.12.2022।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 26.12.2022 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर संस्तुति सहित संशोधित अभिलेख/पत्रावली सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किये है जिनके परीक्षणोपरान्त संशोधित अभिलेख तीन प्रतियों (पत्रावली सहित) में संलग्न कर प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की संस्तुति सहित प्रेषित है।

संलग्नक– 1. प्रस्ताव तीन प्रतियों में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक–2368/15–1, दिनांक 26.12.2022।

भवदीय

(कैलाश प्रकाश)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या– 1742 / समदिनांक।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कैलाश प्रकाश)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 2368 /15—1 दिनांक, झांसी, दिसम्बर 26 2022

सेवा में,

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्दलेखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी ।

विषयः— जनपद झांसी में अदानी टोटल गैस लि0, झांसी द्वारा 200 MM Dia कार्बन स्टील पाइप लाइन बिछाने हेतु झांसी—शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 27 के किमी0 सं0 86 से 93.500 (कुल 7.500 किमी0) तक बांयी पटरी पर प्रभावित 0.225 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं झांसी—ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 44 के किमी0 सं0 6.50 से 18.200 (कुल 11.700 किमी0) तक प्रभावित 0.351 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 0.576 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा सिजवाहा वन ब्लाक में प्रभावित 0.06 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल प्रभावित 0.636 हे0 वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु।

कन्हैया0
वनसं2319
26/12/22

संदर्भः— अनु0 सचिव, उ0प्र0 शासन का पत्रांक पी—340 / 81—2—2022—800(339), दिनांक 28.10.2022 मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक—1508 / 11सी / FP/UP/Pipeline/143751/2021, दिनांक 28.10.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा 08 बिन्दुओं की आपत्तियां दर्शायी गयी है। उक्त आपत्तियों का निराकरण कर निराकरण अभिलेख 04 प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति पत्रावली सहित इस आशय से प्रेषित कि आपत्तियों का निराकरण / अभिलेख संस्तुति सहित 03 प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें, आपत्तियॉ का निराकरण निम्न प्रकार है :—

क0सं0	प्रस्ताव की कमियां	निराकरण
1	प्रस्ताव में अथराईजेशन प्रमाण पत्र में वैधता में ओवरराइटिंग कर संशोधित किन परिस्थितियो में किया गया है ।	प्रस्ताव में अथराईजेशन प्रमाण पत्र में वैधता की बिना ओवरराइटिंग प्रति संलग्न है ।
2	प्रस्ताव में पार्ट—1 में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.636 अंकित है जबकि पार्ट—2 में 0.66704 है0 अंकित है।	प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.636 हे0 है, जिसे पार्ट—2 में संशोधित कर दिया गया है ।
3	प्रस्ताव में 0.06 हे0 आरक्षित वनभूमि है, तो पार्ट—2 में भूमि की वैधानिक स्थिति संरक्षित वनभूमि ही क्यों अंकित है	प्रस्ताव में 0.06 हे0 आरक्षित तथा 0.576 हे0 संरक्षित वनभूमि है, जिसे पार्ट—2 में भूमि की वैधानिक स्थिति में संशोधित कर संरक्षित तथा आरक्षित वनभूमि कर दिया गया है प्रति संलग्न है ।
4	पृष्ठ—22 पर रक्षित लाइसेंस में पावर ऑफ एटार्नी की वैधता अवधि 31.03.2022 अंकित किया गया है जो कि समाप्त हो चुकी है	पृष्ठ—22 पर रक्षित लाइसेंस में पावर ऑफ एटार्नी की वैधता अवधि 31.03.2022 अंकित किया गया है जो कि समाप्त हो चुकी है, जिसके उपरान्त एजेंसी नये ऑथराइज्ड

		पर्सन का औथोरिजेशन पत्र पुनः संलग्न किया गया है (प्रति संलग्न है)
5	पृष्ठ–27/33 पर रक्षित लाइसेंस में कार्यदायी कम्पनी एवं लाइसेंस प्रमाण पत्र मोहर एवं टाईटिल में विसंगिति है ।	पृष्ठ–27/33 पर रक्षित लाइसेंस में कार्यदायी कम्पनी एवं लाइसेंस प्रमाण पत्र मोहर एवं टाईटिल में विसंगिति है क्योकि पहले कम्पनी का नाम अदानी गैस लिमिटेड था तथा बाद में नाम बदल कर अदानी टोटल गैस लिमिटेड कर दिया गया, जिसे Government of India (Ministry of Corporate affairs) स्वीकृति दी गयी है (प्रति संलग्न है) ।
6	पृष्ठ–46 पर अंकित है कि पाइप लाइन के बिछाये जाने में 0.576 हे0 आरक्षित वनभूमि जिसका भू–स्वामित्व एन0एच0 है। 0.060 हे0 का भू–स्वामित्व किसका है स्थिति स्पष्ट की जाय ।	पृष्ठ–46 पर अंकित है कि पाइप लाइन के बिछाये जाने में 0.576 हे0 आरक्षित वनभूमि जिसका भू–स्वामित्व एन0एच0 है। 0.060 हे0 का भू–स्वामित्व भी एन0एच0 का ही है (प्रति संलग्न है) ।
7	पृष्ठ–67 पर रक्षित एन0एच0ए0आई0 का भू–स्वामित्व अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि दिनांक 03.01.2021 है जो समाप्त हो चुकी है। नवीन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय ।	पृष्ठ–67 पर रक्षित एन0एच0ए0आई0 का भू–स्वामित्व अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि दिनांक 03.01.2021 है जो कि एन0एच0ए0आई0 का भू–स्वामित्व अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि नहीं है तथा वह एक बैंक गारण्टी है जो कि एन0एच0 को काम करने के दौरान या कार्य करने से पहले दी जाती है(प्रति संलग्न है) ।
8	पृष्ठ–72 पर रक्षित लीज अवधि प्रमाण पत्र में 99 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष की वचनवद्वता उपलब्ध करायी जाय ।	पृष्ठ–72 पर रक्षित लीज अवधि प्रमाण पत्र में 99 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष की वचनवद्वता उपलब्ध करा दी गयी है प्रति संलग्न है।

संलग्नक :– प्रस्ताव की 04 प्रतियॉ मूल में ।

भवदीय

(एम0पी0 गौतम)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एम0पी0 गौतम)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी